अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(42) परि/नियम/मु./SP.1 जयपुर, दिनांकः 23.03.2016

कार्यालय आदेश 07/2016

विगत समय में यह संज्ञान में लाया गया है कि कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ पंजीकृत कृषि ट्रैक्टर व कृषि ट्रेलर का संयुक्त रूप से कृषि कार्य से भिन्न (वाणिज्यिक, व्यावसायिक) प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। साथ ही निर्माण सामग्री परिवहन अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अपंजीकृत ट्रेलर का भी उपयोग किया जा रहा है।

इसी संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिव्यू पीटिशन सं. 264/2015 में दिनांक 01.03.2016 को पारित निर्णय में भी इस विषय को गंभीरता से लिया जाकर कृषि प्रयोजनार्थ पंजीकृत ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) के व्यावसायिक प्रयोजन पर रोक लगाने एवं नियम विरूद्ध संचालन पर पंजीयन निरस्त किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) के पंजीयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. **पंजीयन :–**

क. ट्रैक्टरः– ट्रैक्टर का पंजीयन पूर्व की भांति गैर परिवहन यान की श्रेणी में एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर के रूप में किया जायेगा एवं ट्रैक्टर को पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/2015 के अनुसार आवंटित पंजीयन सीरीज में से ही पंजीयन क्रमांक आवंटित किये जायेंगे।

ख. ट्रॉलीः–

(i) वर्तमान में अपंजीकृत ट्रेलर (ट्रॉली) का पंजीयन नियमानुसार आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही किया जावें।

(ii) वर्तमान में पंजीकृत कृषि ट्रेलर (ट्रॉली) का वाहन स्वामी यदि कृषि ट्रेलर (ट्रॉली) को व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग करने का इच्छुक है तो, जिस प्रकार हल्का मोटर यान श्रेणी में गैर–परिवहन से परिवहन श्रेणी में श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ही अपनाई जावेगी। अर्थात् प्रारूप 27 में श्रेणी परिवर्तन का आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(iii) व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पंजीकृत होने वाली ट्रेलर (ट्रॉली) के लिए **EV, EW,EX,EY,EZ** सीरीज आरक्षित की जाती है। इसी सीरीज में क्रमशः पंजीयन क्रमांक किए जावे। परन्तु कृषि ट्रेलर (ट्रॉली) को पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/2015 के अनुसार आवंटित पंजीयन सीरीज में से ही पंजीयन क्रमांक आवंटित किये जायेंगे।

..2

(iv) व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) पंजीयन हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 में हल्का मोटर यान श्रेणी हेतु विहित शुल्क राशि देय होगी।

(v) व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) के पंजीयन के समय ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक बताना होगा। MV Act 1988 की धारा 61 (4) व CMVR 1989 के नियम 50 (2)(d) के अन्तर्गत विहित रीति से ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक ट्रेलर (ट्रॉली) पर प्रदर्शित करना होगा।

(vi) स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा निर्मित ट्रेलर्स की पहचान हेतु ट्रेलर्स के चैसिस फ्रेम पर चैसिस क्रमांक पंच किये जाने के संबंध में जारी विभागीय कार्यालय आदेश सं. 26/2013 दिनांक 27.08.2013 की पालना करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(vii) पूर्व में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के यांत्रिक संकाय द्वारा की गई तकनीकी सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ निर्मित ट्रेलर्स की डिजाईन (जिसका अनुमोदन कार्यालय आदेश क्रमांक प.7(42) परि./नियम/मु./टी.टी./94/दिनांक 24.12.1997 द्वारा किया गया है।) में वर्णित तकनीकी स्पेशीफिकेशन व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) के निर्माण की डिजाईन में भी लागू होगी।

01 अप्रैल, 2016 पश्चात् केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125D की अपेक्षानुसार नियम 126 में वर्णित जांच संस्थाओं से डिजाईन अनुमोदन के पश्चात् ही पंजीकृत किया जायेगा।

2. **परमिट** :– ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) हेतु मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66 (3)(i) के प्रावधानानुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।

3. **फिटनेस** :– मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 56 के प्रावधानानुसार व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) को प्रत्येक वर्ष उपयुक्तता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। फिटनेस जांच व प्रमाण पत्र हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1988 के नियम, 81 में हल्का मोटर यान श्रेणी हेतु विहित शुल्क देय होगा।

4. **लाईसेंस** :– ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) हल्का मोटर यान श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं अतः वाणिज्यिक ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) चालकों को हल्का मोटर यान श्रेणी का लाईसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) ट्रॉली संयुक्त रूप से परिवहन यान होने के फलस्वरूप चालकों को राजस्थान मोटर यान नियम 1990, के नियम 2.2 के प्रावधानानुसार परिवहन प्राधिकार भी प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

साथ ही लाईसेंस हेतु केन्द्रीय मोटर यान 1989 के नियम 32 में हल्का मोटर यान श्रेणी हेतु विहित शुल्क राशि देय होगी।

5. **बीमा** :– ट्रैक्टर एवं ट्रेलर (ट्रॉली) व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक को बीमा कराना एवं समय–समय पर उसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

6. **कर** :– व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग के प्रयोजनार्थ पंजीकृत ट्रेलर (ट्रॉली) से विभागीय अधिसूचना एफ 6 (179) परि/टैक्स/मु./95/22सी दिनांक 14.07.2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा विहित ट्रैक्टर की कीमत का एक प्रतिशत एक मुश्त कर संदाय होगा एवं विभागीय अधिसूचना एफ 6 (179) परि/टैक्स/मु./09/26 दिनांक 09.03.2011 द्वारा निर्धारित अधिभार एक मुश्त कुल देय कर का दस प्रतिशत देय होगा।

7. **ग्रीन–टैक्स** :–

(i) कृषि ट्रैक्टर एवं ट्रेलर (ट्रॉली) के लिये ग्रीन टैक्स अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के द्वारा निम्नानुसार देय होगा :–

1. प्रथम पंजीयन एवं पंजीयन नवीनीकरण के लिए :– 1000 रू.

(ii) व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) के लिये ग्रीन टैक्स अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के अनुसार निम्नानुसार देय होगा

1. यदि यान की आयु उसके प्रथम पंजीयन की तारीख से 6 वर्ष या कम है :– 1000 रू.
2. यदि यान की आयु उसके प्रथम पंजीयन की तारीख से 6 वर्ष से अधिक है :– 1500 रू.

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्रमांकः प.7(42) परि/नियम/मु./ जयपुर, दिनांकः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
5. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट, को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)